



Neutral Citation No. 2026:AHC:20041

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 319 2026

श्रीमती अखिलेश कुमारी @ अखिलेश यादव और अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

मुकुल यादव राजेश यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

अरुण कुमार पांडेय मुख्य

स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता गण के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडे की दलीलें सुनी गई।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(अ) उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज द्वारा मुकदमा संख्या आरईवी/5686/2025/संभल कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या एएल20251374005686 (श्रीमती अखिलेश कुमारी @ अखिलेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत पारित दिनांक 04.12.2025 के विवादित आदेश रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 6 को इस हद तक रद्द किया जाए जिस हद तक स्थगन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है।

(ब) परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी गण को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता गण के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 1994 में याचिकाकर्ता गण के पक्ष में एक पट्टा निष्पादित किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 29.9.2023 को पट्टा रद्द करने की एक ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी जो अत्यधिक विलंबित थी और दिनांक 30.09.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का पट्टा रद्द कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि राजस्व परिषद के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में अंतरिम राहत के अनुरोध को मनमाने ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कलेक्टर बिजनौर के माध्यम से और अन्य के मामले में निर्धारित विधि के सिद्धांत के आलोक में जो 2007 (102) आरडी 498 में प्रकाशित है अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए यदि अपील/पुनरीक्षण के अधीन आदेश के गंभीर परिणाम होने की संभावना हो।

4. राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता गण को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के बजाय राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण पर ही अपना पक्ष रखना चाहिए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता गण को वर्ष 1994 में पट्टा प्रदान किया गया था जिसे निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 द्वारा शुरू की गई समय सीमा से बाहर हो चुकी निरस्तीकरण की कार्यवाही के आधार पर रद्द कर दिया गया है। इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका में अंतरिम राहत की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

7. इस न्यायालय ने अली शेर (उपर्युक्त) मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि अपील या पुनरीक्षण के अधीन आदेश के गंभीर परिणाम होने की संभावना हो तो अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने तक उस आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अली शेर (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय के परिच्छेद संख्या 4 और 5 यहाँ प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:

"4. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किसी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया जाता है जिसके सिविल परिणाम होते हैं तो सामान्यतः झूलती हुई स्थिति से बचने के लिए स्थगन प्रदान किया जाना चाहिए सिवाय इसके कि न्यायालय लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए यह पाए कि स्थगन प्रदान करने का कोई आधार नहीं है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मूल चंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज़ मामले में भी अवलोकन किया था।

5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए दिनांक 16.11.2006 के विवादित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का निस्तारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे तथा जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है अपील के निस्तारण होने तक दोनों पक्ष विवादित भूमि की प्रकृति और उस पर अपने कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।"

8. अली शेर (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के अनुपात को तथा रिट बी संख्या 2985/2024 में दिनांक 29.07.2024 को पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत पाने के हकदार हैं।

9. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 4.12.2025 का वह आदेश जिसके द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था एतद्वारा रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह लंबित पुनरीक्षण (पुनरीक्षण) मामले जिसका क्रमांक आरईवी/5686/2025/संभल और कम्प्यूटरीकृत क्रमांक एएल20251374005686 है का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक करे अधिमानतः इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर और ऐसा करते समय संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक राजस्व परिषद के समक्ष उपर्युक्त पुनरीक्षण मुकदमा लंबित रहता है तब तक प्रत्यर्थी संख्या 3 अपर ज़िला मजिस्ट्रेट (एफ/आर) संभल द्वारा पारित दिनांक 30.9.2025 के उस आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन स्थगित रहेगा जिसके द्वारा याचिकाकर्ता गण का पट्टा (lease) रद्द किया गया था तथा प्रत्यर्थीगण याचिकाकर्ता गण के कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

(चंद्र कुमार राय न्यायाधीश)

29 जनवरी 2026

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पीएस

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"